



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072023-247413
CG-DL-E-18072023-247413

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]
No. 411]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 2023/आषाढ 27, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 2023/ASHADHA 27, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 517(अ).—जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, दिनांक 28 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि 335(असा.) के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 15 के उप-नियम (1) के खंड (क) में संशोधन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में कतिपय नियमों का एक मसौदा प्रकाशित किया गया था जिसमें आधिकारिक राजपत्र की उक्त अधिसूचना वाली प्रतियां जनता को जिस तारीख से उपलब्ध कराई गई थी, उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति से पहले, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 28 अप्रैल, 2023 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और जबकि उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया था;

अब, इसलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा आगे और निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा।
- (2) ऐसे संशोधन आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में, नियम (15) में, उप-नियम (1) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(इ) दिनांक 13 अक्टूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या 7-6/एमवाईएस/एमडीएसडी/2021 के मध्यम से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग (में भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य खेल परिसर और आवासीय सुविधाओं पर दिशानिर्देश, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, का अनुपालन करेंगे:”

[फा. सं . 38-15/2022-DD-III]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट : दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को दिनांक 15 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 591(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 13 जुलाई, 2023 की सा.का.नि. 504(अ) के माध्यम से अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2023

G.S.R. 517(E).—Whereas a draft of certain rules to amend sub-rule (1) of rule 15 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 was published, as required by sub-section (1) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), *vide* notification of the Government of India the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities number G.S.R. 335(E), dated the 28th April, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 28th April, 2023;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said notification have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:-

- (1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule (15), in sub-rule (1), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) guidelines on accessible sports complex and residential facilities for sports persons with disabilities, notified by the Government of India in the Ministry of Youth Affairs and Sports (Department of Sports), *vide* notification number 7-6/MYAS/MDSD/2021 dated 13th October, 2022, as amended from time to time:”

[F. No. 38-15/2022-DD-III]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Note : The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017 and was last amended *vide* G.S.R. 504 (E), dated the 13th July, 2023.